प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2020**

विषयः- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने से संबंधित प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी0एच0-1140-41/आर0के0वी0वाई/एच0ई0 टी0सी0सहारनपुर/2019-20, दिनांक 16.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर में सिविल निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0-680.59 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संलग्न विवरण के अनुसार मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-672.55 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0-92.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- वित्तीय स्वीकृति विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.3.2019 के प्रस्तर-2(8)(क) में दी गयी शर्त कि निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं पी0एफ0ए0डी0 द्वारा दी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

2- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रायोजना में कोई परिवर्तन अपेक्षित होने पर पुनः सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त अपेक्षित वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

4- प्रश्नगत परियोजना पर अनुमोदन प्रदान करते समय व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित किये गये दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- कार्य पूर्ण होने पर ही धनराशि आहरित कर भुगतान किया जायेगा।

7- योजना अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों की विशिष्टियों, मात्रा तथा दर को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष/मिशन निदेशक का होगा।

8- योजना अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण का पूर्ण दायित्व मिशन निदेशक/ सक्षम अधिकारी का होगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

10- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

11- धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रायोजना हेतु किया जायेगा, वस्तुतः जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

13- आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

14- प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि व्यय वित्त समिति द्वारा सम्मिलित कर दी गयी है। अतः प्र0वि0 द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर ही देय होगी।

15- प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/व्यय समिति के निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए किया जायेगा।

16- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यदायी/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

17- प्र0वि0 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय कषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-148/12-3-2020/100(37)/2017टी0सी0, दिनांक 11.02.2020 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-83-लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय-789-02-0202-24-वृहद निर्माण कार्य (के0 60/रा0 40-के+रा0) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-26/2020-612(1)/58-2020, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) संयुक्त निदेशक उद्यान, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू.पी.आर.एन.एस.एस), लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0(यू.पी.सी. एल.डी.एफ)।
(8) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
(11) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in